भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 208

(जिसका उत्तर 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है)

एलआईसी द्वारा प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग

208. डॉ॰ उदित राजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने जयपुर आधारित एक न्यास को प्रभाग और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्रों के होने के बावजूद प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम पर 32,38,800/- रुपए की राशि प्रदान की थी;

(ख) विगत ढाई दशक के लिए उक्त न्यास को किस आधार पर भुगतान किया गया;

(ग) अधिकारियों/अभीकर्ताओं को किस आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था; और

(घ) क्या उनसे संबंधित क्षेत्रों में कोई प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि आंतरिक प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे कि अभिकर्ता प्रशिक्षण केंद्र (एटीसी), मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी), बिक्री प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र के अलावा, एलआईसी अपने फील्ड कार्मिकों की साफ्ट स्किल्स को बढ़ाने, उन्हें विपणन तकनीकी में प्रशिक्षित करने एवं बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उत्पाद संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं (ईटीआई) के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जीवन विद्या न्यास (जेवीटी) जयपुर एकमात्र सूचीबद्ध ईटीआई है, जो राष्ट्रीय भाषा, हिंदी (राजभाषा) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 12 ईटीआई को भुगतान की गई कुल राशि 7,71,99,426.00 रूपए थी। जिसमें से एलआईसी ने विकास अधिकारियों और अभिकर्ताओं की बड़ी संख्या के प्रशिक्षण के लिए ट्यूशन शुल्क और आवास एवं बोर्डिंग शुल्क हेतु जेवीटी को 32,38,800.00 रूपए की राशि भुगतान की है। यह ईटीआई को किए गए कुल भुगतान का 4.20% है।

(ख): वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय प्रशिक्षण परामर्शदात्री समिति (सीओटीएसी) जिसमें सभी विपणन चैनल प्रमुख सदस्य होते हैं, के माध्यम से ईटीआई और अपने वाणिज्यिक मामलों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एलआईसी के पास प्रणाली है। सीओटीएसी फील्ड बल में तैनात भागीदारों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ईटीआई के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रही है।

(ग): एलआईसी दिशानिर्देशों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में लगभग 30% फील्ड कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसलिए पात्रता मानदंडों में प्रावधान है कि वे लोग जिन्होंने पिछले दो वर्ष के भीतर ईटीआई द्वारा प्रदत्त किसी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है, पात्र हैं। विकास अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों/मंडल प्रबंधकों, मुख्य प्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों और क्लब के सदस्य अभिकर्ताओं जिन्हें प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिंदी पसंद है, को जेवीटी में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है जिसके लिए एलआईसी के विभिन्न मंडलों द्वारा नामांकन किए गए हैं।

(घ): यहां 6 अंचल, मध्य, उत्तर मध्य, उत्तरी, पूर्वी, पूर्व मध्य और पश्चिमी अंचल हैं, जिनमें कुल 841696 अभिकर्ता और 18509 विकास अधिकारी हैं जो जेवीटी जयपुर में प्रशिक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि प्रशिक्षित किए जाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है और आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकास अधिकारियों (डीओ) और अभिकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जेवीटी की सुविधा मुख्य रूप से 6 अंचलों द्वारा प्रदान की जा रही है जहां पर अभिकर्ता और डीओ प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिंदी को पसंद करते हैं।

****